

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 702/2013/जयपुर

मैसर्स पाण्डे मूर्तिवाला,
1398, खेजड़ों का रास्ता, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम वृत्त-एफ, जयपुर।

.....प्रत्यार्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह - सदस्य

उपस्थित ::

श्री एस.के.जैन,

अभिभाषक

श्री वैभव कासलीवाल,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/02/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के क्रमांक उपा-1/वैट/धारा-34/2012-13 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2012 के विरुद्ध 'वैट अधिनियम' की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम वृत्त-एफ, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण दिनांक 25.08.2010 को एकतरफा प्राप्ति किया जाकर मांग रुपये 55,300/- की सूजित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 34 के तहत पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2012 से व्यवहारी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके द्वारा धारा 34 के तहत आवेदन नियत तिथि 30 दिन के अन्दर पेश नहीं किया एवं नोटिस भी उसे तामील हो गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उन्हें नोटिस तामील ही नहीं हुआ। श्री जैन के अनुसार फर्म मालिक का देहान्त दिनांक 19.11.2009 को हो गया था। अतः नोटिस तामील होने का प्रश्न ही नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें मांग पत्र तामील ही नहीं हुआ। उनके द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि

चाहने पर दिनांक 16.07.2012 का तामील हुआ है। अतः मांग पत्र तामील का दिनांक 16.07.2012 ही माना जा सकता है। जिसके आधार पर उनके द्वारा दिनांक 13.08.2012 को 30 दिवस के अन्दर धारा 34 के तहत आवेदन पेश कर दिया गया। अतः यह आवेदन समय सीमा में पेश किया गया था। जिसे अमान्य कर अपीलीय अधिकारी ने वैधानिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर उनकी अपील को स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने हेतु आग्रह किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिनाशक श्री वैभव कासलीवाल ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए कायम रखने का आग्रह किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारी को नोटिस तामील नहीं हुआ। क्योंकि नोटिस पेश दिनांक 26.08.2010 को फर्म ग्रालिक का रखर्गवास हो चुका था। तथा मांग पत्र भी स्पीड पार्ट से भेजा जाना बताया गया है। परन्तु उसकी तामीली को प्रमाणित नहीं कराया जा सकता है। अतः प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से ही समय सीमा की गणना की जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि देने की दिनांक से 30 दिवस में धारा 34 का आवेदन पेश किया जा चुका था। अतः तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण हेतु नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को तामील नहीं हुआ एवं आदेश प्राप्ति से 30 दिवस के अन्दर धारा 34 का आवेदन पेश कर दिया गया था। अतः धारा 34 के तहत उल्लेखित सभी शर्तों की पालना कर दी गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 31 के आवेदन को अस्वीकार करने में भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.10.2012 को निरस्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश को भी निरस्त किया जाकर सुनवाई का अवरार दिया जाकर पुनः कर निर्धारण करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी को इस हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यास्ते कर निर्धारण दिनांक 20.03.2014 को पेश होने के निर्देश दिये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

—
4-2-14
(अमर सिंह)

सदस्य